



बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK

नीलामी सूचना

चल / अचल संपत्तियों की निविदा द्वारा बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति अधिनियम हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संख्या 54 का 2002) की धारा 13 (4) के तहत बैंक के पक्ष में बंधक परिसम्पत्ति का प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतीकात्मक/संकेतात्मक अधिग्रहण (POSSESSION) कर लिया गया है तथा बैंक की देयताओं को पूरा करने के लिए उक्त अधिनियम के तहत संपत्ति की "जहाँ है तथा जो जैसी है" के अंतर्गत बिक्री का निर्णय लिया गया है। परिसम्पत्तियों तथा नीलामी प्रक्रिया का विवरण निम्न है।

क्रम	खातेदार का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	नीलामी तिथि एवं समय प्रस्ताव जमा करने की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य अग्रिम राशि बोली बढ़ाने की राशि
शाखा - गौरीगंज				मो. -9554969899
1	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री गया प्रसाद व श्री गया प्रसाद पुत्र श्री भुलाई - ग्राम दयालपुर पोस्ट - गौरीगंज , जनपद - अमेठी	खसरा न. 458 क्षेत्रफल - 4153. 30 वर्ग फिट (82 फिट X 50.65 फिट) स्थित - ग्राम - बिसुनदासपुर , पोस्ट - गौरीगंज , तहसील- गौरीगंज , जनपद- अमेठी स्वामित्व - श्री रमेश चन्द्र , श्री सुरेश चन्द्र व मनोज कुमार पुत्रगण गया प्रसाद , ग्राम - जगदीशपुर , पोस्ट - गौरीगंज , जनपद - अमेठी <u>चौहद्दी</u> उत्तर - रज्जन की कृषि भूमि दक्षिण - रोड पूरब - जग प्रसाद की कृषि भूमि पश्चिम - राम फेर की कृषि भूमि	नीलामी तिथि एवं समय 16.10.19 (बुधवार) समय अपराह्न 01:00 से अपराह्न 2:00 बजे तक स्थान - क्षेत्रीय कार्यालय ,अमेठी , निकट पियूष पेट्रोल पंप , गौरीगंज प्रस्ताव तथा अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि व समय 15.10.19 (मंगलवार) समय 04:00 बजे तक - स्थान - शाखा गौरीगंज,जनपद - अमेठी.	आरक्षित मूल्य रु०18.90 लाख अग्रिम राशि, रु०1.89 लाख बोली बढ़ाने की राशि रु०15000/-

नियम एवं शर्तें 1. नीलामी "जैसी है ,जहा है और जो भी है " के आधार पर की जायेगी 2.अर्नेस्ट मनी तथा अन्य दस्तावेजों को जमा करने की तिथि नोटिस में दी गयी है 3. प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार संपत्ति पर किसी प्रकार का प्रभार नहीं ही ,परन्तु निविदाकर्ताओं की अपनी संतुष्टि के लिए अपने स्तर से अलग से संपत्ति के विषय में पूर्ण जानकारी कर ले | 4. इच्छुक व्यक्ति संपत्ति सम्बन्धी एवं अन्य किसी भी प्रकार तथा संपत्ति निरीक्षण के लिए सम्बंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं | 5.सफल निविदाकार को नीलामी बोली की कीमत का 25% धनराशि तुरंत जमा करना होगा . जिसमे धरोहर राशि जमा सम्मिलित होगी 6. निविदा मूल्य की अवशेष राशि निविदा तिथि के 15 दिनों के भीतर एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा , निश्चित अवधि में निविदा मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि न जमा होने की स्थिति में धरोहर राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जायेगी 7. हस्तांतरण सम्बन्धी खर्च जैसे स्टांप व रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि प्रक्रियाधीन समस्त खर्च सफल निविदाकार द्वारा वहन की जाएगी 8. संपत्ति पर समस्त ज्ञात व अज्ञात सरकारी करो देयताओं की जिम्मेदारी क्रेता की होगी | प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के दावा अधिकार एवं अन्य देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा 9. EMD व अन्य भुगतान डिमांड ड्राफ्ट व बैंक चेक जो की बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष शाखा गौरीगंज पर देय हो द्वारा किया जायेगा 10.. समस्त कार्यवाही का स्थान बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय निकट पेट्रोल पुमप , गौरीगंज जनपद अमेठी नियत है | 11.निविदाकर्ताओं जो नीलामी प्रक्रिया में उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं) प्रस्तुत करता है प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से सत्यापन किया जाएगा 12. सफल बोली निविदकर्ताओं की धरोहर राशि बिक्री का हिस्सा बनकर बैंक के पास ही रहेगी तथा सभी असफल निविदाकर्ताओं की राशि बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी | 13.धरोहर राशि राशि पर बैंक द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा |

दिनांक - 24.09.19


प्राधिकृत अधिकारी
बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक